निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 चैत्र 1943 (श0)
(सं0 पटना 288) पटना, शुक्रवार, 9 अप्रील 2021

भवन निर्माण विभाग

अधिसूचना
6 अप्रील 2021

बिहार भवन निर्माण विभाग अवर अभियंत्रण (विद्युत) संवर्ग (संशोधन) नियमावली-2021

सं0सं0-भवन-3/स्था0-ए0-07/2016-2415(भ)—भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल ''बिहार भवन निर्माण विभाग अवर अभियंत्रण (विद्युत) संवर्ग नियमावली-2017'' को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।-

(1) यह नियमावली, ''बिहार भवन निर्माण विभाग अवर अभियंत्रण (विद्युत) संवर्ग (संशोधन) नियमावली-2021'' कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. बिहार भवन निर्माण विभाग अवर अभियंत्रण (विद्युत) संवर्ग नियमावली-2017 के नियम-2(iv) का प्रतिस्थापन ।- उक्त नियमावली का नियम 2(iv) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा-

''**(iv)** आयोग से अभिप्रेत है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग।''

3. बिहार भवन निर्माण विभाग अवर अभियंत्रण (विद्युत) संवर्ग नियमावली-2017 के नियम-10 के उपनियम (1) एवं (2) का प्रतिस्थापन तथा उपनियम (4) का अन्त:स्थापन - उक्त नियमावली के नियम-10 के उपनियम (1) एवं (2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित तथा उपनियम (4) को निम्नरूपेण अन्त:स्थापित किया जाता है -

''**10. चयन की प्रक्रिया।**–

(1) इस संवर्ग के मूल कोटि कनीय अभियंता (विद्युत) के पदों पर चयन डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता में प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा किया जायेगा। बिहार सरकार या बिहार सरकार के अधीन किसी उपक्रम/निगम/निकाय/प्राधिकार/स्वशासी निकाय में संविदा के आधार पर कनीय अभियंता (विद्युत) के पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी, जो इस संवर्ग में भर्त्ती की अर्हता पूरी करते है, को चयन में इस नियम के उप नियम-(2)(ख) के अनुसार अतिरिक्त अंक देकर अधिमानता दी जाएगी।

(2) **अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्नलिखित आधार पर तैयार की जाएगी।**–

			<u>पूर्णांक</u>
(क)	डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता के प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर	–	75 अंक
(ख)	संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमानता (प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में संख्या-5 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा)	–	25 अंक

कुल – 100 अंक''

(4) ''**विद्युत डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों की कनीय अभियंता (विद्युत) के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित रीति से की जायेगी :**–

(क) इस नियमावली के नियम-5 के तहत कुल रिक्त पदों का आरक्षण कोटिवार 40% पद राज्य के अधीन सरकारी पोलिटेक्निक संस्थानों से विद्युत डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेगी, जिन्हें आरक्षण कोटिवार उपरोक्त नियम-10(2) के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत तैयार मेधा सूची के आधार पर भरा जायेगा।

(ख) शेष रिक्ति इस नियमावली के नियम-9(1)(ii) द्वारा निर्धारित योग्यता/अहर्त्ता के आधार पर नियम-10(2) में निर्धारित प्रक्रिया के तहत तैयार मेधा सूची के आधार पर भरा जायेगा।

(ग) कंडिका-(ख) के रिक्ति पदों के सामान्य प्रक्रिया से भरे जाने के पश्चात् मेधा सूची के आधार पर कंडिका-(क) के अवशेष आरक्षित पदों को, राज्य के अधीन सरकारी पोलिटेक्निक से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से आरक्षण कोटिवार मेधा क्रम में चयन द्वारा भरा जायेगा।''

4. बिहार भवन निर्माण विभाग अवर अभियंत्रण (विद्युत) संवर्ग नियमावली-2017 के नियम-11 का प्रतिस्थापन ।– उक्त नियमावली का नियम-11 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा –

''**11.** आयोग नियम-10 के अनुसार चयनित उम्मीदवारों की अंतिम मेधा सूची तैयार करेगा एवं उसे सरकार को नियुक्ति हेतु अनुशंसित करेगा। आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों का पैनल एक वर्ष के लिए वैध होगा।''

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कुमार रवि,
सरकार के सचिव ।

6 अप्रील 2021

सं0सं0-भवन-3/स्था0-ए0-07/2016-2415(भ) बिहार भवन निर्माण विभाग, अवर अभियंत्रण (विद्युत) संवर्ग भर्त्ती (संशोधन) नियमावली-2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचित (संशोधन) नियमावली-2021 का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
कुमार रवि,
सरकार के सचिव,

The 6th April 2021

BIHAR BUILDING CONSTRUCTION DEPARTMENT SUBORDINATE ENGINEERING (ELECTRICAL) CADRE RECRUITMENT (amendment) RULES-2021

No-Building-03/Estt.-A.-07/2016-2415(BH)—In exercise of the powers conferred under the proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amend the Bihar Building Construction Department Subordinate Engineering (Electrical) cadre Recruitment Rules 2017:-

1. ***Short title, extent & Commencement.—***

(1) These Rules may be called the "BIHAR BUILDING CONSTRUCTION DEPARTMENT SUBORDINATE ENGINEERING (ELECTRICAL) CADRE RECRUITMENT (amendment) RULES-2021"

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come in force at once.

2. ***Substitution of Rule-2(iv) of BIHAR BUILDING CONSTRUCTION DEPARTMENT SUBORDINATE ENGINEERING (ELECTRICAL) CADRE RECRUITMENT RULES-2017.— Rule-2(iv) of the said rules shall be substituted by the following :-***

"(iv) Commission means The Bihar Technical Service Commission."

3. ***Substitution of Rule-10(1) & (2) and insertion of Rule-10(4) of BIHAR BUILDING CONSTRUCTION DEPARTMENT SUBORDINATE ENGINEERING (ELECTRICAL) CADRE RECRUITMENT RULES-2017.—*** *Rule-10(1) & (2) of the said rules shall be substituted and Rule-10(4) be inserted by the following:-*

"10. Procedure of Selection- (1) Selection for the posts of Junior Engineer (Electrical) basic category of this cadre, shall be made by the Commission on the basis of percentage of marks obtained in Diploma or equivalent qualification. Candidates having experience of working on the post of Junior Engineer (Electrical) on contract basis under the Government of Bihar or in any Undertaking/ Body/ Corporation/Entity/Authority/ Autonomous Body under the Government of Bihar, who fulfil the essential qualifications for the recruitment in this cadre, shall be given preference by giving additional marks according to sub rule (2) (b) of this Rule.

(2) Merit list of Candidates shall be prepared on the following basis:-

		Full Marks
(a)	On the basis of percentage of marks obtained in Diploma (Electrical) or equivalent qualification -	75
(b)	Maximum weightage for the working experience on contract basis - (The weightage of per working year shall be 5 marks subject to the maximum limit of 25 marks. For any fraction of year of working experience, the proportionate weightage, the marks shall be calculated	25

by multiplying the number of working days by 5 and dividing it by 365) .

Total - 100 Marks"

" (4) Appointment of the Electrical Diploma holder candidates as Junior Engineer (Electrical) shall be made in the following manner:-

(a) As per Rule-5 of these rules, reservation category wise, 40% posts of total vacant posts shall be reserved for Electrical Diploma holder candidates from the Government Polytechnic Institutes under the State which will be filled up on the basis of Merit list prepared reservation category wise under the determined procedure by Rule 10(2).

(b) Remaining vacant post shall be filled on the basis of merit list prepared reservation category wise under the determined procedure in Rule-10(2) as per eligibilities/qualifications mentioned in Rule-9(1)(ii).

(c) After filing vacant posts of para-(b) through general procedure, the remaining reserved posts of para-(a) on the basis of merit list in category wise merit-order, by selection, of candidates passing from the Government Polytechnics of the State."

4. ***Substitution of Rule-11 of BIHAR BUILDING CONSTRUCTION DEPARTMENT SUBORDINATE ENGINEERING (ELECTRICAL) CADRE RECRUITMENT RULES-2017 .— Rule-11 of the said rules shall be substituted by the following :-***

"11. The Commission shall prepare final merit-list of selected candidates according to Rule-10 and shall recommend it to the Government for appointment. The panel of candidates recommended by the Commission shall be valid for one year."

By the order of the Governor of Bihar,
KUMAR RAVI,
Secretary.

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 288-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in